

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग



वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2017-18

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

मधु पिल्ले चौक, राम मंदिर के सामने, शांति नगर, रायपुर 492007

दूरभाष : 0771 - 2446018, 4902939, 4902940

Email:cgpurc18@gmail.com, Website:www.cgpurc.in

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 के अंतर्गत स्थापित]



वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2017–2018

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

मधु पिल्ले चौक, राम मंदिर के सामने, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : (0771) 2446018, Email:cgpurc18@gmail.com

Website:www.cgpurc.in

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2017–2018

-
- टीप :- (1) छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम 2002 (क्रमांक 2 सन् 2002) यथा संरोधित 17 मार्च 2004 की धारा 24 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित आयोग।
- (2) उक्त अधिनियम का निरसन एवं व्यावृत्ति छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005, (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 44 दिनांक 25 अगस्त 2005 को किया गया।

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय
विनियामक आयोग
छत्तीसगढ़ शासन



क्रमांक – 426 / ए.ए.आर.सी. / 166 / ए / 2005 / 9004
प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन,
नया रायपुर (छ.ग.)

मधु पिल्ले चौक, राम मंदिर के सामने,
शांति नगर, रायपुर 492007 (छ.ग.)
दूरभाष नं. : 0771-2446018
ई-मेल : cgpurc@gmail.com
वेबसाइट : www.cgpurc.in

रायपुर दिनांक 08 / 10 / 2018

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन।

—0—

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम 2005 की कंडिका 22 में यह प्रावधान है, कि “आयोग प्रत्येक वर्ष के लिए एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा जिसमें उस वर्ष के क्रियाकलापों का लेखा-जोखा दिया जाएगा। नियम 2005 की कंडिका 23 (ग) में यह भी प्रावधान है कि आयोग के वार्षिक लेखा को चार्टर्ड एकाऊंटेट द्वारा प्रमाणित करा कर उनका सम्परीक्षा प्रतिवेदन तैयार कराया जाएगा। कंडिका 22 एवं 23 की व्यवस्था के अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन के साथ वित्तीय वर्ष की वार्षिक लेखा सम्परीक्षा की प्रतिलिपि संलग्न कर उच्च शिक्षा विभाग को आयोग द्वारा अग्रेषित किया जाना है तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उसे विधानसभा के पटल पर रखा जाना है”।

उक्त वैधानिक व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसे आयोग ने बैठक दिनांक 06.10.2018 को विचार कर अनुमोदन किया है।

आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही के लिये संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला)

अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष 2017-2018

आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 22 के अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसमें वर्ष भर के क्रिया-कलापों का पूर्ण लेखा-जोखा दिया गया है। उक्त वार्षिक प्रतिवेदन उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु प्रस्तुत हैं।

1. विनियामक आयोग – पदाधिकारी एवं अधिकारी

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 36 के अनुसार निजी विश्वविद्यालयों के विनियमन के लिए राज्य स्तर पर एक विनियामक आयोग स्थापित किया जायेगा जो राज्य शासन, एवं केन्द्रीय नियामक अभिकरणों के बीच अध्यापन, परीक्षा शोध एवं अन्य कायक्रमों में यथोचित मानक स्तर सुनिश्चित करने, विद्यार्थियों के हित संरक्षण तथा कर्मचारियों को तत्संगत शर्ते सुनिश्चित करने के लिए होगा, साथ ही विश्वविद्यालय को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता बनाये रखेगा। विनियामक आयोग कुलाध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण में कार्य करेगा तदनुसार आयोग निरन्तर कार्यरत है। आयोग में वित्तीय वर्ष 2017-18 में निम्नानुसार पदाधिकारी एवं अधिकारी है :—

- | | | |
|----------------------------|---|-------------------|
| (1) डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला | — | अध्यक्ष |
| (2) डॉ. शिव वरण शुक्ल | — | सदस्य (अकादमिक) |
| (4) श्रीमती रेणु देशमुख | — | सदस्य (प्रशासनिक) |
| (5) डॉ. एस.आर. गुप्ता | — | अंशकालिक सदस्य |
| (6) डॉ. स्मृति वाजपेयी | — | अंशकालिक सदस्य |
| (7) डॉ.बी.डी.थदलानी | — | सचिव |

2. आयोग कार्यालय में उक्त पदाधिकारियों का कार्यकाल निम्नानुसार है :-

- (1) डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार दिनांक 01/04/2017 को ग्रहण किया है।
- (2) डॉ. शिव वरण शुक्ल ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के सदस्य (अकादमिक) पद का कार्यभार दिनांक 03/10/2015 को ग्रहण किया है।
- (3) श्रीमती रेणु देशमुख ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के सदस्य (प्रशासनिक) पद का कार्यभार दिनांक 03/12/2015 को ग्रहण किया है।
- (4) डॉ. एस.आर. गुप्ता ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अंशकालिक सदस्य पद का कार्यभार दिनांक 01/01/2016 को ग्रहण किया है।
- (5) डॉ. स्मृति बाजपेयी ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अंशकालिक सदस्य पद का कार्यभार दिनांक 04/01/2016 को ग्रहण किया है।
- (6) श्री रामजी द्विवेदी ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के प्रभारी सचिव पद का कार्यभार दिनांक 01/04/2017 को ग्रहण किया है।
- (7) डॉ. बी.डी.थदलानी ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के सचिव पद का कार्यभार दिनांक 10/01/2018 को ग्रहण किया है।

3. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के कर्तव्य :-

- (1) निजी विश्वविद्यालयों में अध्यापन, परीक्षा और शोध के लिए मानक स्तर बनाए रखने के लिए ऐसे आवश्यक कदम उठाना जो वह उचित समझें।
- (2) यह सुनिश्चित करना कि निजी विश्वविद्यालय को कितना शुल्क और अन्य राशि एकत्रित करने का अधिकार हो ताकि वे उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की लागत को वसूल कर सके और साथ में उनके पास कुछ तर्कसंगत राशि बच भी सके जिसका उपयोग वे संपत्ति के संधारण और आगे के विस्तार के लिये कर सके।
- (3) यह सुनिश्चित करना कि निजी विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु नियुक्त शिक्षकों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य नियामक अभिकरणों द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं हो।

- (4) सुनिश्चित करना कि निजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदंडों के अनुसार हुई है तथा विश्वविद्यालय की परिनियमों, अध्यादेशों के सुसंगत है।
- (5) सुनिश्चित करना कि निजी विश्वविद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों के साथ शोषण न हो और उनसे शुल्क वसूल करने के लिए गलत तरीके न अपनाए जाय।
- (6) निजी विश्वविद्यालय के विघटन संबंधी सभी मामले में कार्यवाही करें, जिसमें विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम पूरा करने, परीक्षा संचालन करने एवं उपाधि देने का कार्यक्रम शामिल है इस कार्य को किसी अन्य विश्वविद्यालय को इस प्रकार सौंपेंगे, ताकि विद्यार्थियों के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो विद्यार्थियों के लिए किये जाने वाले इन सब कार्यों पर तथा साथ में विश्वविद्यालयों के विघटन पर होने वाले व्यय को विन्यास निधि एवं/सामान्य निधि से पूरा किया जाएगा।
- (7) निजी विश्वविद्यालय के परामर्श से राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्थापित अध्ययन केन्द्रों का नियमन करना।

4. विनियामक आयोग की बैठकें :-

वर्ष 2017–2018 में विनियामक आयोग की 06 बैठकें निम्नांकित तिथियों में आयोजित की गई हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

स. क.	बैठक क्रमांक	बैठक दिनांक
1.	93 / 2017	25 / 04 / 2017
2.	94 / 2017	27 / 05 / 2017
3.	95 / 2017	12 / 07 / 2017
4.	96 / 2017	27 / 07 / 2017
5.	97 / 2017	13 / 10 / 2017
6.	98 / 2017	13 / 12 / 2017

5. निजी विश्वविद्यालयों द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने वाले अनुगामी परिनियम एवं अनुगामी अध्यादेशों की संख्या एक शैक्षणिक सत्र में निर्धारित किये जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 93/2017 दिनांक 25.04.2017 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम—2005 के अंतर्गत राज्य में 08 निजी विश्वविद्यालय स्थापित तथा संचालित है। स्थापित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा आयोग कार्यालय में अनुगामी परिनियम एवं अनुगामी अध्यादेश एक साथ बहुत अधिक संख्या में प्रस्तुत किये जाते हैं। विश्वविद्यालयों से बहुत अधिक संख्या में प्राप्त होने से नियमानुसार परीक्षण होने में देरी होती है तथा समय पर इनका प्रकाशन राजपत्र में भी नहीं हो पाता है।

अतः बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा विचार—विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि एक शैक्षणिक सत्र में अधिकतम 05 अनुगामी परिनियम एवं 05 अनुगामी अध्यादेश स्वीकार किये जायेंगे। इस निर्णय का परिपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी निजी विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किये जाय।

6. प्रो. बी. आर. चन्द्राकर द्वारा आयोग के सचिव पद से दिनांक 31.03.2017 को दिये गये त्याग—पत्र के उपरांत रिक्त हुये सचिव के पद पर नियुक्ति करने पर विचार एवं निर्णय।

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 93/2017 दिनांक 25.04.2017 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि प्रो. बी. आर. चन्द्राकर ने आयोग के सचिव पद से दिनांक 31.03.2017 को त्यागपत्र दे दिया है तथा आयोग के सचिव पद का प्रभार श्री रामजी द्विवेदी को दिया गया है। इसकी सूचना माननीय सदस्यों को दी गयी है। त्यागपत्र उपरांत रिक्त हुए सचिव के पद पर नियुक्ति करने पर विचार—विमर्श किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि विनियम—2009 में निहित प्रावधानों के अनुसार संविदा नियुक्ति के अंतर्गत सचिव के पद को भर लिया जाय तथा आयोग का कार्य प्रभावित न हो इसे ध्यान में रखते हुए सचिव की नियुक्ति होने तक श्री रामजी द्विवेदी आयोग के सचिव पद का कार्यभार देखते रहेंगे।

7. आयोग कार्यालय में तृतीय श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल को मांग पत्र भेजने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

आयोग कार्यालय में तृतीय श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल को मांग पत्र भेजने हेतु प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 93/2017 दिनांक 25.04.2017 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया।

प्रकरण के संबंध में लेख है कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 के अंतर्गत 08 निजी विश्वविद्यालय स्थापित तथा संचालित है। 03-04 निजी विश्वविद्यालयों के और स्थापित होने की संभावना है। आयोग कार्यालय में 02 नियमित, एवं 01 संविदा, नियुक्ति के अंतर्गत तृतीय श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है। जबकि आयोग का कार्य बढ़ गया है। आयोग में कर्मचारियों की संख्या अत्यधिक कम होने के कारण आयोग का कार्य प्रभावित हो रहा है।

अतः बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि विनियम 2009 की अनुसूची (1) में उल्लेखित तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों को आवश्यकतानुसार भरने हेतु छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल को मांग पत्र भेजा जाए तथा नियमित नियुक्ति होने तक 01 डाटाएन्ट्री ऑपरेटर, 01 लेखापाल, दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर रखने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

8. नया रायपुर सेक्टर 24 में प्राधिकरण द्वारा शासकीय विभागों हेतु प्रथम आओ प्रथम पाओं योजना के आधार पर निर्मित किये जा रहे ऑफिस कॉम्प्लेक्स में आयोग कार्यालय हेतु बिल्टप स्पेस क्रय करने के संबंध में विचार एवं निर्णय :—

आयोग की बैठक क्रमांक 90/2016 दिनांक 16 नवम्बर 2016 के विषय क्रमांक 03 में लिये गये निर्णय अनुसार नया रायपुर सेक्टर- 24 में प्राधिकरण द्वारा शासकीय विभागों हेतु "प्रथम आओ प्रथम पाओ" योजना के आधार पर निर्मित किए जा रहे ऑफिस कॉम्प्लेक्स में आयोग कार्यालय के उपयोग हेतु 851.354 वर्गमीटर (9163.97 वर्गफीट) बिल्टअप स्पेस क्रय करने हेतु प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लागत मूल्य रु. 4,06,88,027/- का 10 प्रतिशत पंजीयन शुल्क राशि रु. 40,68,803.00/- आयोग द्वारा जमा कर दी गयी है। इसकी जानकारी बैठक में उपस्थित माननीय सदस्यों को दी गयी तथा इसका अनुमोदन किया गया।

- 8.1 आयोग कार्यालय हेतु नया रायपुर में आबंटित बिल्टप स्पेस का भुगतान रूपये 1,01,72,007/- करने हेतु नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी नया रायपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 27.07.2017 के संबंध में विचार एवं निर्णय।

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 97/2017 दिनांक 13.10.2017 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी नया रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक 4467/(6)2/820/संपदा/एन.आर.डी.ए./2016 दिनांक 27.07.2017 के अनुसार नया

रायपुर सेक्टर-24 ऑफिस काम्पलेक्स में प्लाट नं.-7 के ग्राउण्ड लोर में 851.354 वर्गमीटर (9163.97वर्गफीट) बिल्टप स्पेस कुल प्रीमियम 4,06,88,027/- पर आबंटित किया गया है। आबंटित बिल्टप स्पेस का भुगतान Payment Schedule के अनुसार कुल प्रीमियम 4,06,88,027/- का 25 प्रतिशत 1,01,72,007/- आबंटन आदेश की तिथि 24.04.2017 से तीन माह के भीतर दिनांक 23.07.2017 तक जमा किया जाना है।

उक्त प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया तथा माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से भुगतान करने का निर्णय लिया गया।

9. प्रायोजक निकायों को आशय पत्र जारी करने के संबंध में।

9.1 प्रायोजक निकाय जी.डी. रूंगटा फाऊंडेशन, जी.ई. रोड, गंजपारा दुर्ग, (छ.ग.) द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन के मूल्यांकन उपरांत मूल्यांकन समिति से प्राप्त प्रतिवेदन पर विचार एवं निर्णय।

प्रायोजक निकाय—जी.डी.रूंगटा फाऊंडेशन, जी.ई. रोड, गंजपारा दुर्ग, (छ.ग.) (प्रस्तावित रूंगटा विश्वविद्यालय) द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन को आयोग की बैठक क्रमांक 94 / 2017 दिनांक 27.05.2017 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया।

बैठक में प्रायोजक निकाय जी.डी. रूंगटा फाऊंडेशन, जी.ई. रोड, गंजपारा दुर्ग, (छ.ग.) (प्रस्तावित रूंगटा विश्वविद्यालय) के परियोजना प्रतिवेदन का आयोग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति ने दिनांक 23.05.2017 को मूल्यांकन किया।

मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन निम्नानुसार है :—

“परियोजना प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम—2005 की धारा 4(2) एवं 5(2) के अंतर्गत चाही गयी जानकारी प्रायोजक निकाय द्वारा प्रदान की गयी है। अतः प्रायोजक निकाय को प्रस्तावित रूंगटा विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आशय पत्र (LOI) जारी करने की अनुशंसा की जाती है।”

मूल्यांकन समिति के उपरोक्त प्रतिवेदन पर विचार किया गया तथा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया की प्रायोजक निकाय जी.डी. रूंगटा फाऊंडेशन, जी.ई. रोड, गंजपारा दुर्ग, (छ.ग.) को प्रस्तावित रूंगटा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आशय पत्र (LOI) जारी करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर, को अनुशंसा पत्र लिखा जाय।

10. प्रस्तावित महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एन्ड टेक्नोलॉजी बिलासपुर (छ.ग.) की स्थापना एवं निगमन के संबंध में विचार एवं निर्णय।

प्रस्तावित महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एन्ड टेक्नोलॉजी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 96 / 2017 दिनांक 27.07.2017 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया। बैठक में प्रस्तावित महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एन्ड टेक्नोलॉजी बिलासपुर के संबंध में प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख रायपुर द्वारा प्रस्तुत भूमि संबंधी जांच प्रतिवेदन, निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन एवं प्रायोजक निकाय द्वारा दी गयी जानकारी के साथ-साथ "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005" में दिये गये स्थापना एवं निगमन संबंधी प्रावधानों से बैठक में उपस्थित माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया। विस्तृत समीक्षा एवं चर्चा के उपरांत इस प्रस्तावित विश्वविद्यालय के संबंध में मुख्य रूप से जो तथ्य सामने आये हैं तदानुसार सर्व-सम्मति से जो निर्णय लिया गया वह निम्नानुसार :—

1. प्रस्तावित विश्वविद्यालय के स्वामित्व में 58.22 3/4 एकड़ भूमि है। जिसका सत्यापन सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख रायपुर द्वारा किया जा चुका है।
2. विन्यास निधि की राशि के रूप में पांच करोड़ आयोग के पास जमा है।
3. प्रशासनिक भवन, आकादमिक भवन, छात्रावास एवं कुलपति निवास का निर्माण कार्य किया गया है। जिसमें कुल निर्माण कार्य 1,16,126.4 वर्गफुट का पूरा हो चुका है। विश्वविद्यालय के लिए प्रस्तावित भू-खण्ड तीन भागों में है। जिसका सत्यापन आयोग के निरीक्षण दल द्वारा किया जा चुका है। प्रशासनिक भवन में स्वागत कक्ष के साथ कुलाधिपति, कुलपति, कुलसचिव एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय हेतु पृथक-पृथक कक्ष स्थित है। प्रथम एवं द्वितीय आकादमिक भवन में लगभग 12 अध्यापन कक्ष, कांफेंस हाल, कम्प्यूटर लैब एवं ग्रंथालय स्थित है। साथ ही पूरे भवन में विद्युत की व्यवस्था हैं एवं छात्र-छात्राओं के लिए पृथक-पृथक टॉयलेट की भी व्यवस्था है। छात्रावास में छात्रों हेतु लगभग 50 कक्ष स्थित हैं तथा मूलभूत सुविधायें उपलब्ध हैं। कुलपति निवास में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध हैं। वर्तमान में कम्प्यूटर लैब के लिए लगभग 30 नग कम्प्यूटर का क्रय किया गया है तथा तत्कालिक आवश्यकताओं के लिए ग्रंथालय में पुस्तकें, जर्नल्स आदि का क्रय किया जा चुका है।

प्रबन्धन के प्रतिनिधियों ने पूरे परिसर की प्रस्तावित योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की है, जिसमें भविष्य में बनाये जाने वाले स्टाफ क्वार्टर्स के साथ अकादमिक भवन, वर्कशाप, आडिटोरियम, वाहन आदि उपलब्ध कराने की जानकारी दी गयी है।

प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय रायपुर के नई राजधानी परिक्षेत्र से लगभग 115 किमी. रायपुर-बिलासपुर पहुँच मार्ग से जुड़ा है।

4. आवश्यक परिवर्चन (Undertaking) भी शपथ पत्र में दी जा चुकी है।

इस प्रकार प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम-2005 में दी गयी सभी शर्तों को पूरा करता है। अतः माननीय सदस्यों द्वारा सर्व-सम्मति से प्रस्तावित महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एन्ड टेक्नोलॉजी बिलासपुर (छ.ग.) के स्थापना एवं निगमन की अनुशंसा की गई है तथा प्रकरण को राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है।

11. प्रस्तावित के.के. मोदी यूनिवर्सिटी दुर्ग (छ.ग.) की स्थापना एवं निगमन के संबंध में विचार एवं निर्णय।

प्रस्तावित के.के. मोदी यूनिवर्सिटी दुर्ग छत्तीसगढ़ के प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 98 / 2017 दिनांक 13 दिसम्बर 2017 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया।

बैठक में प्रस्तावित के.के. मोदी यूनिवर्सिटी दुर्ग के संबंध में प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख रायपुर द्वारा प्रस्तुत भूमि संबंधी जांच प्रतिवेदन, निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन एवं प्रायोजक निकाय द्वारा दी गयी जानकारी के साथ-साथ "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005" में दिये गये स्थापना एवं निगमन संबंधी प्रावधानों से बैठक में उपस्थित माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया। विस्तृत समीक्षा एवं चर्चा के उपरांत इस प्रस्तावित विश्वविद्यालय के संबंध में मुख्य रूप से जो तथ्य सामने आये हैं तदानुसार सर्व-सम्मति से जो निर्णय लिया गया वह निम्नानुसार :-

- प्रस्तावित विश्वविद्यालय के स्वामित्व में 25.679 एकड़ भूमि है। जिसका सत्यापन सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख रायपुर द्वारा किया जा चुका है।
- विन्यास निधि की राशि के रूप में तीन करोड़ आयोग के पास जमा है।
- मुख्य परिसर में प्रशासनिक भवन एवं अकादमिक भवन का निर्माण कार्य किया गया है। जिसमें भू-तल, प्रथम तल तथा द्वितीय तल में कुल 25666.68 वर्गफुट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। भू-तल 10604.30 वर्गफुट में स्वागत कक्ष के साथ 02 अध्यापन कक्ष, कामन रूम, लाइब्रेरी स्थित

है। प्रथम तल 8604.40 वर्गफुट में 02 अध्यापन कक्ष स्थित है। साथ ही कुलाधिपति कक्ष, कुलपति कक्ष, कुलसचिव कक्ष, कम्प्यूटर लैब है। भू-तल में छात्र-छात्राओं के लिए पृथक-पृथक टॉयलेट बने हुए हैं। द्वितीय तल 6458.25 वर्गफुट का जिसमें 03 अध्यापन कक्ष, प्रशासनिक कार्यालय कैश काउंटर, स्ट्रांग रूम है, कामन रूम, टॉयलेट आदि की व्यवस्था है। संपूर्ण भवन विद्युत व्यवस्था से परिपूर्ण है। छात्र-छात्राओं के लिए पृथक-पृथक छात्रावास के साथ स्टाफ क्वार्टर्स के निर्माण की योजना है।

प्रबन्धन के प्रतिनिधियों ने पूरे परिसर की प्रस्तावित योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की है, जिसमें भविष्य में बनाये जाने वाले कुलपति, कुलसचिव के निवास के साथ अकादमिक भवन, वर्कशाप, आडिटोरियम एवं खेल का मैदान आदि की जानकारी दी है, कुछ भवन निर्माणाधीन हैं। वर्तमान में कम्प्यूटर लैब के लिए लगभग 20 नग कम्प्यूटर क्रय किया गया है तथा ग्रंथालय के लिए पुस्तकें, जर्नल्स आदि का क्रय किया जा चुका है। भविष्य में उपलब्ध करायी जाने वाली अन्य सुविधाओं की भी जानकारी दी गयी है, जिसमें वाहन, पूर्ण कालिक डॉक्टर एवं सोलर पेनल इत्यादि।

प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय रायपुर के नई राजधानी परिक्षेत्र से लगभग 68.3 किमी. रायपुर-दुर्ग पहुँच मार्ग से जुड़ा है।

4. आवश्यक परिवचन (Undertaking) भी शपथ पत्र में दी जा चुकी है।

प्रस्तावित के.के. मोदी विश्वविद्यालय को आशय पत्र क्रमांक एफ 3-3/2013/38-2 दिनांक 04.03.2015 को जारी किया है।

तत्समय छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 लागू था, किन्तु वर्तमान में उक्त अधिनियम की धारा 07 एवं धारा 11 में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2015 दिनांक 14 मई 2017 द्वारा संशोधन किया गया है जो निम्नानुसार है:-

धारा-7 मूल अधिनियम

(3) वह प्रशासकीय कार्यों तथा अकादमिक कार्यों के सम्पादन के लिए कम से कम 25,000 वर्गफीट का निर्मित क्षेत्र, भवनों तथा अन्य सहायक निर्माणों के रूप में उपलब्ध करायेगा।

धारा-7 का संशोधन:-

(2) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 7 की उप-धारा(3) में, अंक "25,000" के स्थान पर, अंक "1,00,000" प्रतिस्थापित किया जाय।

धारा-11 मूल अधिनियम

(1) निजी विश्वविद्यालय के लिए विन्यास निधि की राशि तीन करोड़ जमा करना।

धारा-11 का संशोधन:-

(2) मूल अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में, शब्द "तीन करोड़ रुपये" के स्थान पर, शब्द "पांच करोड़ रुपये" प्रतिस्थापित किया जाय।

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित के.के. मोदी विश्वविद्यालय अधिनियम-2005 में दी गयी शर्तों को अर्थात् 25,000 वर्गफीट का निर्मित क्षेत्र, भवनों तथा अन्य सहायक निर्माणों के रूप में उपलब्ध कराना एवं धारा 11 की उपधारा खण्ड (ख) के अनुसार विन्यास निधि की राशि तीन करोड़ जमा करने की शर्तों को पूरा करता है।

किन्तु छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2015 दिनांक 14.5.2015 के अनुसार प्रशासकीय कार्यों तथा अकादमिक कार्यों के सम्पादन के लिए कम से कम 1,00,000 वर्गफीट का निर्मित क्षेत्र, भवनों तथा अन्य सहायक निर्माणों के रूप में उपलब्ध कराने एवं निजी विश्वविद्यालय के लिए विन्यास निधि की राशि पांच करोड़ रुपये जमा करने की शर्तों की पूर्ति नहीं करता।

अतः उपरोक्त संदर्भ में निर्णय लेने हेतु प्रकरण राज्य षासन को भेजे जाने हेतु समिति अनुबंधा करती है।

12. अध्यादेशों का अनुमोदन –

12.1. आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय, गरियाबंद द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 30 तक तथा प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 53 तक को अनुमोदित करने पर विचार एवं निर्णय।

आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय, गरियाबंद द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 30 तक तथा प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 53 तक को आयोग की बैठक क्रमांक 94 / 2017 दिनांक 27.05.2017 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया।

आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय गरियाबंद द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 30 तक तथा प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 53 तक पर विस्तृत रूप से चर्चा एवं विचार-विमर्श

किया गया। विचार-विमर्श के पश्चात् सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम एवं प्रथम अध्यादेश को अनुमोदित किया तथा यह निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को राजपत्र में प्रकाशित कराने के लिए भेजा जाय।

- 12.2 कलिंगा विश्वविद्यालय, द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 64 से 78 को अनुमोदित करने पर विचार एवं निर्णय।

कलिंगा विश्वविद्यालय, द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 64 से 78 को आयोग की बैठक क्रमांक 94 / 2017 दिनांक 27.05.2017 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया। कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 64 से 78 पर विस्तृत रूप से चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के पश्चात् सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के अनुगामी अध्यादेश को अनुमोदित किया तथा यह निर्णय लिया कि छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर को राजपत्र में प्रकाशित कराने के लिये भेजा जाय।

- 12.3 ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय, द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 16 से 18 तक को अनुमोदित करने पर विचार एवं निर्णय।

ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय, द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 16 से 18 तक को आयोग की बैठक क्रमांक 94 / 2017 दिनांक 27.05.2017 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया।

ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय, द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 16 से 18 तक पर विस्तृत रूप से चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के पश्चात् सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के अनुगामी अध्यादेशों को अनुमोदित किया तथा यह निर्णय लिया कि छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर को राजपत्र में प्रकाशित कराने के लिये भेजा जाय।

- 12.4 आई.टी.एम. विश्वविद्यालय, ग्राम-उपरवारा, तह.-अभनपुर, जिला-रायपुर द्वारा प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 58 से 61 एवं संशोधित अध्यादेश क्रमांक 1,2,10,13,16 एवं 51 को अनुमोदित करने पर विचार एवं निर्णय।

आई.टी.एम. विश्वविद्यालय, ग्राम-उपरवारा, तह.-अभनपुर, जिला-रायपुर द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 58 से 61 तथा संशोधित अध्यादेश क्रमांक 1,2,10,13,16 एवं 51

को आयोग की बैठक क्रमांक 96 / 2017 दिनांक 27.07.2017 पर विस्तृत रूप से चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के पश्चात सभी सदस्यों ने सर्व-सम्मति से विश्वविद्यालय के उक्त अनुगामी अध्यादेश एवं संशोधित अध्यादेशों को अनुमोदित किया तथा यह निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को राजपत्र में प्रकाशित कराने के लिए भेजा जाय।

13. इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड मैनेजमेंट से विन्यास निधि की राशि की वापसी के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 30.08.2017 के संबंध में विचार एवं निर्णय।

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 97 / 2017 दिनांक 13.10.2017 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया।

इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड मैनेजमेंट से विन्यास निधि की राशि को विमुक्त करने के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 30.08.2017 के अनुसार प्रस्तावित कॉर्मशिर्यल विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को राज्य शासन द्वारा अमान्य कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रायोजक निकाय द्वारा आयोग कार्यालय में जमा विन्यास निधि की राशि रूपये 03 करोड़ को विमुक्त करने हेतु लिखा गया है।

उक्त आवेदन पत्र पर बैठक में विचार विमर्श किया गया तथा माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रायोजक निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड मैनेजमेंट के द्वारा आयोग कार्यालय में जमा विन्यास निधि की राशि रूपये 03 करोड़ तथा उस पर देय ब्याज राशि में आयकर की कटौती कर नियमानुसार भुगतान कर दिया जाय।

14. प्रायोजक निकायों द्वारा आयोग कार्यालय में जमा विन्यास निधि पर वित्तीय वर्ष 2016-17 की ब्याज राशि का भुगतान करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

आयोग कार्यालय में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार विभिन्न प्रायोजक निकायों द्वारा विन्यास निधि एवं अतिरिक्त निधि की राशि जमा की गयी है। प्रायोजक निकायों द्वारा जमा राशि पर विचार-विमर्श किया गया तथा संलग्नक 01 के अनुसार ब्याज राशि में नियमानुसार आयकर की कटौती कर ब्याज राशि को विमुक्त करने का निर्णय सर्वसम्मति से सदस्यों द्वारा लिया गया।

15. राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 29 अप्रैल 2017 के माध्यम से विनियामक आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्यों को दी जाने वाली सुविधाओं में किये गये संशोधन के संबंध में विचार एवं निर्णय।

राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 29 अप्रैल 2017 के माध्यम से विनियामक आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्यों को दी जाने वाली सुविधाओं में किये गये संशोधन को आयोग बैठक क्रमांक 95 / 2017 दिनांक 12.07.2017 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया।

राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 30.05.2017 को राजपत्र में किया गया। इस अधिसूचना के माध्यम से छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम—2005 की क्रमशः कंडिका 14(10), 14(13), 14(14) एवं 14(17) में संशोधन किया गया है। जो निम्नानुसार है:—

- (1) नियम 14 के उप—नियम (10) एवं (13) में संशोधन उपरांत आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्यों को उक्त दिनांक से महंगाई भत्ते की पात्रता हो गयी है।
- (2) नियम 14 के उप—नियम (14) में संशोधन उपरांत पूर्णकालिक सदस्य राज्य शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारी के समकक्ष आवास, मकान, किराया भत्ते एवं वाहन के हकदार होंगे।
- (3) नियम 14 के उप—नियम (17) में संशोधन उपरांत अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्य राज्य शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारी के समकक्ष चिकित्सा प्रतिपूर्ति अथवा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यथा विनिश्चित चिकित्सा बीमा के हकदार होंगे।

राज्य शासन द्वारा नियम—2005 में किये गये उक्त संशोधन से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया। इस संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा विचार—विमर्श किया गया तथा निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

- (1) नियम 14 के उप—नियम (10) एवं (13) में किये गये संशोधन उपरांत आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्यों को राज्य शासन के कर्मचारियों को समय—समय पर अनुज्ञेय दरों से मंहगाई भत्ता की पात्रता हो गयी है, इन्हे इनके वेतन पर उक्त दिनांक से मंहगाई भत्ता दिया जाय।
- (2) नियम 14 के उप—नियम (14) में संशोधन उपरांत पूर्णकालिक सदस्य राज्य शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारी के समकक्ष आवास, मकान, किराया भत्ते जो भी उपलब्ध हो दिया जाय तथा वाहन के संबंध में माननीय सदस्यों को जानकारी दी गयी की वर्तमान में आयोग कार्यालय में 01 कार उपलब्ध है, जो माननीय अध्यक्ष महोदय को आबंटित है।

पूर्णकालिक सदस्यों को वाहन की पात्रता हो गयी है तथा इन्हें आयोग कार्यालय द्वारा वाहन उपलब्ध कराया जाना है। इस संबंध में विचार-विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया की आयोग की निधि (Fund) से 02 वाहन क्रय कर लिया जाय, दोनों वाहन के क्रय एवं पूल पर होने वाले व्यय भार का वहन आयोग के निधि से किया जायेगा। इस क्रय से राज्य शासन पर कोई वित्तीय भार नहीं आयेगा। परन्तु प्रशासकीय अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रकरण को राज्य शासन उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित किया जाय तथा प्रशासकीय अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही वाहन क्रय किया जाय।

- (3) नियम 14 के उप-नियम (17) में संशोधन उपरांत अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्य राज्य शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारी के समकक्ष चिकित्सा प्रतिपूर्ति अथवा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यथा विनिश्चित चिकित्सा बीमा की पात्रता हो गयी है, इन्हें यह सुविधा प्रदान की जाय।
16. आयोग कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन को अनुमोदित करने पर विचार एवं निर्णय।

आयोग कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन को आयोग की बैठक क्रमांक 95/2017 दिनांक 12.07.2017 में आयोग के माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अवलोकन उपरांत सभी माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से इनका अनुमोदन किया गया तथा आयोग का वार्षिक लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन जैसा कि चार्टड एकाउन्टेट द्वारा अभिप्राप्त किया गया है। उस लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन को वार्षिक प्रतिवेदन के साथ छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय नया रायपुर को अग्रेषित करने का निर्णय लिया गया ताकि उच्च शिक्षा विभाग इन्हें नियमानुसार विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत कर सके।

17. राज्य की संचित निधि में जमा शुल्क राशि का विवरण –

- (1) डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2017-2018 में विद्यार्थियों से ली गई शुल्क राशि का एक प्रतिशत एवं शास्तिक ब्याज राशि सहित कुल रु. 10276507/- आयोग में जमा किया गया तथा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में जमा किया गया।

- (2) मैट्स विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2017-2018 में विद्यार्थियों से ली गई शुल्क राशि का एक प्रतिशत एवं शास्तिक ब्याज राशि सहित कुल रु. 5106994/- आयोग में जमा किया गया तथा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में जमा किया गया।
 - (3) कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2017-2018 में विद्यार्थियों से ली गई शुल्क राशि का एक प्रतिशत एवं शास्तिक ब्याज राशि सहित कुल रु. 4984483/- आयोग में जमा किया गया तथा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में जमा किया गया।
 - (4) आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2017-2018 में विद्यार्थियों से ली गई शुल्क राशि का एक प्रतिशत एवं शास्तिक ब्याज राशि सहित कुल रु. 57711/- आयोग में जमा किया गया तथा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में जमा किया गया।
 - (5) आई.टी.एम. विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2017-2018 में विद्यार्थियों से ली गई शुल्क राशि का एक प्रतिशत एवं शास्तिक ब्याज राशि सहित कुल रु. 2975308/- आयोग में जमा किया गया तथा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में जमा किया गया।
 - (6) ओ.पी.जिंदल विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2017-2018 में विद्यार्थियों से ली गई शुल्क राशि का एक प्रतिशत एवं शास्तिक ब्याज राशि सहित कुल रु. 1028616/- आयोग में जमा किया गया तथा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में जमा किया गया।
 - (7) आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2017-2018 में विद्यार्थियों से ली गई शुल्क राशि का एक प्रतिशत एवं शास्तिक ब्याज राशि सहित कुल रु. 20546/- आयोग में जमा किया गया तथा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में जमा किया गया।
18. पूर्ववर्ती/प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित शिकायतों पर कार्यवाही

पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में विभिन्न प्रकार की शिकायतें आयोग को प्राप्त हुईं। प्राप्त शिकायतों के संबंध में संबंधित प्रायोजक निकायों को पत्र द्वारा शिकायतों का निरांकरण करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही विचाराधीन अवधि में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए समय पर आयोग कार्यालय द्वारा आवेदकों को जानकारी उपलब्ध करायी गई है।

19. निजी विश्वविद्यालयों के निरीक्षण के संबंध में –

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 के अंतर्गत स्थापित 08 निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण समय—समय पर आयोग कार्यालय द्वारा किया गया। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों को आयोग कार्यालय द्वारा निर्देशित किया गया है।

20. छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों का विवरण:-

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 के अंतर्गत वर्ष 2006 से विचाराधीन अवधि तक छत्तीसगढ़ राज्य में आठ निजी विश्वविद्यालय स्थापित तथा संचालित हैं। इनका विवरण निम्नानुसार है:-

स. क्र.	निजी विश्वविद्यालयों के नाम	निजी विश्वविद्यालयों का पता	स्थापना वर्ष / दिनांक
1.	डॉ.सी.वी.रमन विश्वविद्यालय	करगी रोड कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 03 नवम्बर, 2006
2.	मैट्स विश्वविद्यालय	ग्राम-गुल्लु, तह.-आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 03 नवम्बर, 2006
3.	कलिंगा विश्वविद्यालय	ग्राम-कोटनी, पलौद, तह.-आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 25 मार्च, 2011
4.	आई.सी.एफ.ए.आई.विश्वविद्यालय	ग्राम-चोरहा, तह.-धमधा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 25 मार्च, 2011
5.	आई.टी.एम. विश्वविद्यालय	ग्राम-उपरवारा, तह.-अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 03 फरवरी, 2012
6.	एमिटी विश्वविद्यालय	ग्राम-मांठ, तह.-तिल्दा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 21 अगस्त, 2014
7.	ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय	ओ.पी. जिंदल नॉलेज पार्क, ग्राम-पुंजीपथरा, तह.-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 21 अगस्त, 2014
8.	आई.एस.बी.एम विश्वविद्यालय	ग्राम-छुरा, तह.-छुरा, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 09 सितम्बर, 2016

21. न्यायालयीन प्रकरण –


पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों/स्थापित निजी विश्वविद्यालयों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में याचिका दायर की गई है, जिनमें विनियामक आयोग को एक पक्षकार बनाया गया है। विनियामक आयोग द्वारा प्रत्येक प्रकरण में अधिवक्ता से सम्पर्क कर आयोग का पक्ष रखते हुए निम्नानुसार समस्त प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही की गई। वर्ष 2017–18 में न्यायालयीन प्रकरण का विवरण निम्नानुसार है :—


न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति

रिट पिटिशन/ कम्प्लेन्ट नं.	माननीय उच्च न्यायालय/उपभोक्ता फोरम का नाम	वादी/प्रतिवादी	रिमार्क
रिट पिटिशन (सी) नं. 8979 / 2012 (एस)	माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश बेंच, ग्वालियर	बनवारी लाल त्यागी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।
आवेदन नं. 412 / 2016	सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, 61 / 35, कॉपरनिकस मार्ग नई दिल्ली	नितिन कुमार दुबे विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।
रिट पिटिशन (सी) नं. 1326 / 2016	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	कलिंगा विश्वविद्यालय विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण निराकृते दिनांक 28.04.2017
रिट पिटिशन (सी) नं. 2971 / 2016	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	राजकिशोर वर्मा विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।
रिट पिटिशन (सी) नं. 2960 / 2016	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	करुनदास मानिकपुरी विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।
रिट पिटिशन (सी) नं. 2976 / 2016	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	श्रवण कुमार हलवाई विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।


22. लेखाओं पर प्रतिवेदन के संबंध में –


विचाराधीन अवधि के लेखाओं की सम्परीक्षा मेसर्स बत्रा दीपक एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, रायपुर द्वारा की गई है, जो प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।


(डॉ. बी. डी. थदलानी)
सचिव


(डॉ. स्मृति बाजपेयी)
अंशकालिक सदस्य


(डॉ. एस.आर. गुप्ता)
अंशकालिक सदस्य


(श्रीमती रेणु देशमुख)
सदस्य (प्रशासनिक)


(डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला)
अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग
शांति नगर, रायपुर – 492 007

**CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA
VINAYAMAK AYOG**

**AUDITED FINACIAL STATEMENT
FOR FINANCIAL YEAR
2017-18**

**BATRA DEEPAK & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT**

Batra Deepak & Associates
Chartered Accountants

Office No.28, 2nd Floor, Ashoka Plaza Complex
(Near Ashoka Ratan, Khamardih), Vidhan Sabha Road, RAIPUR (Chhattisgarh) 492001
Phone: 0771-2281180, 81, 82; Fax: 0771-2281183
E-mail: audit_murari@bdaca.com

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To,
The Members
Chhattisgarh Niji Vishwavidyalaya Vinayamak Ayog (Ayog),
Raipur (Chhattisgarh)

We have audited the attached Balance Sheet of CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG (AYOG) as at 31st March 2018 and the Income & Expenditure Account of the Ayog for the year ended on that date. Our report is as under:

- (a) These financial statements are the responsibility of the Entity's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements, based on our audit.
- (b) We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- (c) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- (d) In our opinion, proper books of account have been prepared, so far as it appears from our examination of such books.
- (e) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account referred to in this report are in agreement with the books of accounts.



(f) Our audit observations are as under:

- i). As per clause 9(b) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Rules, 2005. AYOG has to deposit the fees within 15 days of receipt from the Universities to the Government but we noticed following instances where amount has been deposited with delay.

S.NO	NAME OF UNIVERSITY	DATE OF RECEIPT	DUE DATE OF DEPOSIT	DATE OF DEPOSIT	DELAY IN DAYS	AMOUNT
1	ICFAI University	13-04-17	28-04-17	03-05-17	5	1,798
2	ICFAI University	14-08-17	29-08-17	04-09-17	6	325
3	ICFAI University	14-08-17	29-08-17	04-09-17	6	630
4	Kalinga University	07-02-18	22-02-18	24-02-18	2	21,119
5	Kalinga University	07-02-18	22-02-18	24-02-18	2	8,02,102
6	OP Jindal University	14-08-17	29-08-17	04-09-17	6	66,186
7	OP Jindal University	13-02-18	28-02-18	05-03-18	5	12,304
8	OP Jindal University	13-02-18	28-02-18	05-03-18	5	2,29,363
9	ISBM University	06-02-18	21-02-18	24-02-18	3	15,522
10	ISBM University	06-02-18	21-02-18	24-02-18	3	2,310
Total						11,51,659

- ii). We observed that there is a tendency to keep Demand Draft received by AYOG and its deposit into the Bank Account. This information is complied in the following table:

S.No	Name of University	Demand Draft Date	Date on which Amount Credited to bank	Amount
1.	ICFAI University	03-04-17	20-04-17	1,798
2.	ICFAI University	06-02-17	01-03-18	11,361

- iii). As per section 12(a) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and operation) Rules 2005, University has to deposit an amount of 1% of fees received from their students within 15 days of following month with AYOG however we observed that this stipulation is not regularly followed by Universities.


- (g) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said Balance Sheet and the Income and Expenditure account read



together with the notes thereon, but subject to para (f) above give the information required, in the manner so required and give a true and fair view:

- (i) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Ayog as at 31st March, 2018, and
- (ii) In the case of Income and Expenditure Account, of the Surplus for the year ended on that date.

For, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGD. NO. 005408C



[MURARI MITTAL]

PARTNER

M.NO. 300784



PLACE: RAIPUR
DATE: 21.08.2018

CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG

BALANCE SHEET AS AT 31 ST MARCH 2018

Address: 29/776, Plot No. 5, Block-3, Shanti Nagar RAIPUR - 492001 Chhatishgarh

PARTICULARS	SCHEDULE	AMOUNT(Rs.) 31.03.2018	AMOUNT(Rs.) 31.03.2017
SOURCES OF FUNDS:			
CAPITAL FUND:			
Reserve & Surplus	"A"	19,72,44,151	19,14,11,217
T-O-T-A-L :-		19,72,44,151	19,14,11,217
APPLICATION OF FUNDS:			
FIXED ASSETS:	"B"		
Opening W.D.V.		11,71,475	10,33,357
Add: Addition during the year		13,64,132	3,95,506
Less: Depreciation during the year		2,91,006	2,57,388
Closing W.D.V.		22,44,601	11,71,475
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES:			
Cash & Bank balances	"C"	2,54,35,327	6,19,01,326
Investments in fixed deposit receipts	"D"	52,74,41,074	42,51,27,594
Deposits & Advances	"E"	1,53,30,746	42,10,822
		56,82,07,147	49,12,39,742
LESS: CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS:	"F"		
Net Current Assets		37,32,07,597	30,10,00,000
T-O-T-A-L :-		19,49,99,550	19,02,39,742
Notes to accounts form integral part of Balance Sheet and Income & Expenditure Account	"G"	19,72,44,151	19,14,11,217

FOR, CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA
VINAYAMAK AYOG

For CHHATTISGARH NIJI
VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG

(Dr. Anjali Kumar Shukla) (Smt. Reni Deshmukh)
[Chairman] [MEMBER ADMIN.]

DATE : 21.08.2018
PLACE: RAIPUR

FOR, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REG. NO. 005408C

[MURARI MITEPAL]
PARTNER
M.NO 300784

DATE : 21.08.2018
PLACE: RAIPUR


CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2018

Address: 29/776, Plot No. 5, Block-3, Shanti Nagar RAIPUR - 492001 Chhatishgarh

PARTICULARS	SCHEDULE	AMOUNT (Rs.) 31.03.2018	AMOUNT (Rs.) 31.03.2017
I-N-C-O-M-E :			
Interest from FDR		2,22,01,499	6,74,25,812
Interest from Banks		20,55,560	12,86,825
Sale of forms & miscellaneous income		16,500	7,000
	TOTAL (A)	2,42,73,559	6,87,12,637
E-X-P-E-N-D-I-T-U-R-E :			
Petty Cash Expenses		37,289	2,04,031
Staff salary		62,60,893	46,44,143
Remuneration to Auditor		23,600	23,000
Telephone expenses		55,123	80,109
Rent expenses		3,82,661	3,67,356
Electricity charges		78,030	63,550
Travelling and Conveyance expenses		60,798	45,722
Depreciation & Amortisation		2,91,006	2,57,388
Office expenses		10,817	12,305
Interest on Endowment Fund		1,08,48,784	1,05,00,000
Bank charges		2,346	61
Printing & Stationery expenses		24,624	38,150
Sitting fees		72,000	58,000
Legal & Professional expenses		1,44,480	8,07,520
Interest on Late Deposit of TDS		-	2,264
Medical Reimbursement		78,625	70,173
Repairs & Maintenance expenses		69,550	91,746
Advertisement & Publicity		-	12,278
Conference & Seminars		-	37,074
Land inspection work		-	5,000
	TOTAL (B)	1,84,40,626	1,73,19,870
Excess of Income over Expenditure (A - B)		58,32,933	5,13,99,767
Net Surplus Carried to Balance Sheet		58,32,933	5,13,99,767
Notes to accounts form integral part of Balance Sheet and	"G"		

FOR, CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA
 VINAYAMAK AYOG
 For CHHATTISGARH NIJI
 VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG

 (Dr. Anjani Kumar Shukla) (Smt. Renu Dondhukh)
 Chairman Member (Admin)
 [CHAIRMAN] [MEMBER ADMIN.]

DATE: 21.08.18
 PLACE: RAIPUR

FOR, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 FIRM REG. NO. 15408C

 [MURARI MITTAL]
 PARTNER
 M.NO 300784

DATE : 21.08.18
 PLACE: RAIPUR

CHHATTISGARH NIIJ VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2018

PARTICULARS	AS AT 31.03.2018	AS AT 31.03.2017
SCHEDULE - "A"		
RESERVES & SURPLUS:		
Opening Balance	19,14,11,218	14,00,11,449
Add : Surplus/(Deficit)	58,32,933	5,13,99,767
T-O-T-A-L:-	19,72,44,151	19,14,11,217
SCHEDULE - "C"		
CASH AND BANK BALANCE:		
Petty Cash (As certified by Management)	30,000	12,617
Bank Balances :		
(a) Balance with Union Bank of India	9,80,192	41,890
(b) Balance With Central Bank Of India	2,33,70,135	5,48,46,819
(c) Auto Sweep Account with Union Bank of India	10,55,000	70,00,000
T-O-T-A-L:-	2,54,35,327	6,19,01,326
SCHEDULE - "D"		
INVESTMENTS IN FDR(s):		
(a) Fixed Deposits with Central Bank of India	52,74,41,074	42,51,27,594
T-O-T-A-L:-	52,74,41,074	42,51,27,594
SCHEDULE - "E"		
DEPOSITS & ADVANCES		
(a) TDS Receivable (A.Y 2007-08)	85,617	85,617
(b) Deposit for rent	45,000	45,000
(c) Deposit for telephone	1,402	1,402
(d) Advance for office at Naya Raipur	1,42,40,810	40,68,803
(e) Advance for meeting	10,000	10,000
(f) TDS Receivable (2017-2018)	9,47,917	-
T-O-T-A-L:-	1,53,30,746	42,10,822
SCHEDULE - "F"		
CURRENT LIABILITIES & PROVISION		
(a) Endowment fund	37,10,00,000	30,10,00,000
(b) Fees to be deposited in Treasury	10,19,215	-
(c) TATA Motors Pvt. Ltd.	11,88,382	-
T-O-T-A-L:-	37,32,07,597	30,10,00,000



CHHATTISGARH N.I.I. VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG
SCHEDULE "B" DETAILS OF FIXED ASSETS

PARTICULARS	RATE	W.D.V. AS ON 01-04-17	ADDITIONS		TOTAL LESS THAN 180 DAYS	TOTAL	TOTAL DEPRECIATION	W.D.V. AS ON 31.03.2018
			MORE THAN 180 DAYS	180 DAYS				
Furniture & Fixtures	10%	4,17,323		22,200	4,39,523	42,842		3,96,681
Office Equipments	15%	1,34,429	6,890	-	1,41,319	21,198		1,20,121
Computers	40%	51,450		1,46,660	1,98,110	49,912		1,48,198
Printers	40%	10,740	"	"	10,740	4,296		6,444
Air Conditioner	15%	1,87,328	"	"	1,87,328	28,099		1,59,229
Car	15%	3,70,205	"	11,88,382	15,58,587	1,44,659		14,13,928
TOTAL		11,71,475	6,890	13,57,242	25,35,607	2,91,006		22,44,601



CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG

SCHEDULE - "G" SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1. BASIS FOR PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENT:

These accounts have been prepared under the historical cost convention on the basis of a going concern, with revenues earned and expenses actually paid i.e. cash method of accounting. The financial statements are prepared in accordance with the generally accepted accounting principles and provisions of the statute have been followed.

2. FIXED ASSETS:

Fixed assets are stated at cost less depreciation. Cost of acquisition of fixed assets is inclusive of all expenses.

3. DEPRECIATION:

The entity has provided for depreciation as per rates prescribed under the Income Tax Act 1961.

4. TAXATION:

Provision for current and deferred taxation to be done as per Income Tax Act 1961

5. CONTINGENT LIABILITIES:

- (i) Contingent liabilities have not provided for in the books of accounts and are shown separately in the "Notes to Accounts". The liability of 17,71,14,583/- towards interest due on endowment fund payable to such depositors has not been accounted for in books of accounts as the same would be accounted on payment basis.



B. NOTES TO ACCOUNTS:

- (i) Figures of the previous year have been re-arranged/re-grouped wherever considered necessary so as to make them comparable with current year's figures.
- (ii) Contingent Liabilities:
Estimated amount of Contingent liability remaining to be executed (Building at Naya Raipur) amounting to Rs 2,64,47,217. Details regarding this is as under:

Contract Price of New Office Building at New Raipur Chhattisgarh	Rs. 4,06,88,027
---	-----------------

(Less): Amount Paid For The New Office Building Till Date.

Financial Year	Particular	Amount Paid (Rs.)
2016-17	Advance For New Office Building	40,68,803
2017-18	Advance For New Office Building	1,01,72,007
Total		1,42,40,810

Amount of Contingent liability remaining to be executed	Rs. 2,64,47,217
--	-----------------

- (iii) Tax Provision: - The AYOG is a body enacted under a separate enactment. It is constituted to regulate the conduct of private sector universities in the state of Chhattisgarh. It is also designated agency for allowing set up of any private university in the state of Chhattisgarh. In view of which it fulfills the criteria stipulated under section 10(46) of the I.T Act for getting full exemption of its income/surplus. Apart From this, AYOG has already been approved for exemption under other applicable sections of the IT Act. AYOG has been recognizing the refund of Endowment funds as its application of surplus and therefore does not have taxable income accordingly it has not made any provision of income tax in its books of account.
- (iv) Cash-in-Hand have been taken as certified by the members.
- (v) Parties' balances are subject to confirmations.
- (vi) Previous year figures have been regrouped and rearranged wherever necessary.



SIGNATURES TO SCHEDULES "A" TO "G"

For, CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA

VINYAMAK AYOG

For CHHATTISGARH NIJI
VISHWAVIDYALAYA VINYAMAK AYOG

(Dr. Anjani Kumar Shukla)
Chairman

[CHAIRMAN]

(Smt. Renu Deshmukh)
Member (Admn)

[MEMBER ADMIN.]

For, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

FIRM REG. NO. 005408C

[MURARI MITTAL]

PARTNER

M.NO. 300784



DATE: 21.08.2018

PLACE: RAIPUR

DATE: 21.08.2018

PLACE: RAIPUR

आप विश्वविद्यालय में सभ्य, सुसंस्कृत और शिक्षित होने आए हैं,
असभ्य और अमानवीय व्यवहार के लिए नहीं

याद रखें, रैगिंग दण्डनीय अपराध है - अपने भविष्य से न खेलें।

रैगिंग एक अमानवीय व्यवहार



रैगिंग होने की स्थिति में शिकायत करें-



शैक्षणिक संस्था प्रमुख को
शैक्षणिक संस्था की एन्टी रैगिंग कमेटी को
पुलिस कंट्रोल रूम नम्बर 100

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग
मधु पिल्ले चौक, राम मंदिर के सामने, शांति नगर, रायपुर 492007
दूरभाष : 00771 - 2446018, 4902939, 4902940
Email:cgpurc18@gmail.com, Website:www.cgpurc.in

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग
द्वारा जनहित में जारी